न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व मु.न. 09/2015

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
सफी खां पुत्र सायर खां जाति मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर		1. दावद खां पुत्र शायर खां जाति मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा 2. मेऊ खां पुत्र जगमल खां जाति मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा 3. यासीन खां पुत्र जगमाल खां जाति मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा 4. समीन खां पुत्र कादर खां जाति मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा 5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण हाल तहसीलदार, भणियाणा, जिला जैसलमेर

अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 17.05.1993 जो तहसीलदार, पोकरण द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :

1. श्री अब्दुल रहमान मेहर, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, जैसलमेर प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 22 मार्च, 2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के अनुसार उसके पिता सायर खां पुत्र अजीम खां के नाम ग्राम स्वामीजी की ढाणी के खसरा नम्बर 46 रकबा 169 बीघा 14 बिस्वा भूमि सहखातेदार के रूप में दर्ज रही जिसकी मृत्यु पर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 17.05.1993 द्वारा उनके वारिस पुत्रान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 बताते हुए उसके मृतक पिता की भूमि दर्ज कर दी जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के अलावा अन्य प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 उसके पिता के पुत्र नहीं है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 दाउद खां के अलावा अपीलार्थी स्वयं मृतक सायर खां का पुत्र है व उनकी 6 पुत्रियां रसाल, जसु, ईदी, माया, अशरफ एवं केसर है। अपीलार्थी के अनुसार उसका व उसकी उक्त 6 बहनों के नाम प्रश्नगत नामान्तरण में दर्ज नहीं किये जाकर मृतक सायर खां के

बहनों के पुत्रों के नाम दर्ज कर दिये है जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृत किये जाने के समय वह 4–5 वर्ष का था व उसे प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी दिनांक 17.09.2015 को हलका पटवारी से नकल चाहने पर हुई जिस पर उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के न्यायालय से उक्त नामान्तरण निरस्त करवाने की कार्यवाही हेतु कागजात अपने अधिवक्ता को दिये परन्तु प्रश्नगत नामान्तरण तहसीलदार, पोकरण द्वारा स्वीकृत होने से अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान होने से कागजात वापिस देने पर यहां के अधिवक्ता के जरिये दिनांक 27.10.2015 को अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य करने हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण अपास्त कर मृतक सायर खां के जायज वारिसान के नाम प्रश्नगत भूमि में उनका हिस्सा दर्ज करने के अनुतोष का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत नामान्तरण जब 1993 में भरा गया तब अपीलार्थी 4–5 वर्ष का था। उसके बालिग होने व के.सी.सी. के लिये उक्त भूमि के संबंध में हलका पटवारी से सम्पर्क करने पर उसे इसकी जानकारी हुई जिस पर प्रश्नगत नामान्तरण की नकल लेकर दिनांक 27.10.2015 को अपील प्रस्तुत की गई। उन्होंने अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य करने का अनुरोध किया। पेरोकार राज ने इसका प्रतिरोध करते हुए समयावधि के बिन्दु पर अपील अपास्त करने का अनुरोध किया। यद्यपि अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब के शमन के लिये यथेष्ठ कारण नहीं पाये जाते है परन्तु न्यायहित में अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त ठहरने से अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। गुणावगुण के आधार पर अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि सायर खां के निधन पर भरे व स्वीकृत किये गये प्रश्नगत नामान्तरण में उसके पुत्र दाउद खां का नाम तो दर्ज कर दिया परन्तु साथ में मेरू खां, यासीन खां व समीन खां जिनकी वल्दियत पृथक पृथक अपील में अंकित है, के नाम भी साथ में अंकित कर दिये व मृतक के नाबालिग पुत्र अपीलार्थी, पत्नी एवं पुत्रियों को छोड़ दिया, जो गलत है। अतः प्रकरण प्रतिप्रेषण कर मृतक सायर खां के जायज वारिसान के नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया। पेरोकार राज ने अपने तर्क में प्रश्नगत नामान्तरण बाद जांच भरा जाकर स्वीकृत किये जाने का कथन करते हुए इसे विधि सम्मत बताते हुए अपीलार्थी की अपील अपास्त करने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 एवं उनके अधिवक्ता बार बार आवाज देने पर भी अनुपस्थित रहे। अतः उनके सम्बन्ध में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना निश्चय किया गया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं परिशीलन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। ग्राम लाठी के खसरा नम्बर 46 रकबा 169 बीघा 14 बिस्वा भूमि सायर खां पुत्र अजीम खां, बरकत खां, भूरे खां, हुसैन खां पिसरान निहाल खां, लखू पत्नी निहाल खां जाति सिपाही निवासी स्वामीजी की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। सायर खां पुत्र अजीम खां के निधन पर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 17.05.1983 द्वारा उक्त भूमि दाउद खां, मेऊ खां, यासीन खं, समीन खां पिसरान सायर खां, बरकत खां, भूरे खां, हुसैन खां पिसरान निहाल खां, लखू पत्नी निहाल खां के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। प्रश्नगत नामान्तरण पर हलका पटवारी दांतल का यह नोट अंकित है कि सायर खां फोत हुए 1 माह, वारिस पुत्रों के नाम नामान्तरण खोला गया, पत्नी व पुत्रियां नहीं है। किसी भी पक्ष की ओर से मृतक सायर खां पुत्र अजीम खां के जायज वारिसान का अधिकृत प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नामान्तरण स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण में सम्यक रूप से जाँच नहीं कराई गई है तथा संबंधित सभी तथ्य सामने नहीं आये है, जो न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आधार के रूप में आवश्यक थे। अतः न्याय हित में अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर